

नीलामी/बिक्री सूचना

सूचित किया जाता है कि बड़ौदा य.पी. बैंक द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दृष्टि बंधित वाहन जिनको नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है। दिनांक 30.11.2021 को "जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी किया जायेगा। निम्नलिखित उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है की वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, ब्याज व अन्य खर्च सहित अदा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन की नीलामी कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित यह राशि वसूल ली जाएगी।

क्र.स.	ऋणी का नाम एवं पता	शाखा	वाहन का विवरण	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य (₹0)
					धरोहर राशि (₹0)
1.	श्री जनार्दन प्रसाद पुत्र श्री माता प्रसाद एवं श्री राम सजीवन पुत्र श्री हरि राम, दोनों निवासी पारा ब्राह्मण, पोस्ट- कुचेरा, तहसील-मिल्कीपुर, जिला-फैजाबाद/अयोध्या।	इनायत नगर	Tractor- Power track-434VM, Escorts Ltd, Reg. No. UP42AD 0361	₹. 6,92,909 / - + ब्याज दिनांक 01.04.2018 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	1,60,000.00 16,000.00
2.	श्री राज कुमार यादव पुत्र श्री जगन्नाथ यादव निवासी 6/13/16, बड़ा रमना, जमुनिया बाग, फैजाबाद/अयोध्या।	ई.टी.सी. मसौधा	Three Wheeler (passenger) Reg. No. UP42AT 2676	₹. 1,82,218 / - + ब्याज दिनांक 26.09.2016 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	15000.00 1500.00
3.	श्री धर्मेश कुमार पुत्र श्री झब्र, निवासी साहबगंज पुलिस चौकी के पीछे, फैजाबाद/अयोध्या।	ई.टी.सी. मसौधा	Mahindra ALFA Loading Vehicle (Three Wheeler) Reg. No. UP42AT 2821	₹. 1,51,934 / - + ब्याज दिनांक 26.09.2016 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	10,000.00 1,000.00
4.	श्री आशा राम और अन्य, निवासी ग्राम विमवल, पोस्ट- राम नगर, तहसील-आलापुर, अंबेडकरनगर।	चौहड़ा शाहपुर	Tractor- John Deer Ind.ltd./ Tractor (Open) 2011 Reg. No. UP50 X 6185	₹. 5,56,725 / - + ब्याज दिनांक 30.09.2016 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	1,35,500.00 13,550.00
5.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री संत राम, निवासी ग्राम व पोस्ट सीक्रोहर, जिला-अंबेडकरनगर	अकबरपुर	Truck - TATA (Open Body) Reg. No. UP45T3050	₹. 21,14,433 / - + ब्याज दिनांक 30.11.2017 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	2,14,500.00 2,14,50.00
6.	श्री राम बरन यादव पुत्र श्री राम आनंद यादव, ग्राम अमौना, पोस्ट- रानी बाजार, जिला-अयोध्या।	रानी बाजार	Tractor - Mahindra And Mahindra Reg. No. UP42 P 7245	₹. 4,46,690 / - + ब्याज दिनांक 22.09.2017 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	1,15,000.00 11,500.00
7.	श्री राम भरोसे यादव पुत्र जगरू राम, ग्राम व पोस्ट साहुलारा, जिला आयोध्या।	साहुलारा	Tractor - Indo farm Engine No. T240449D Chasis No. HMU30002831 E	₹. 88208 / - + ब्याज दिनांक 13.09.2017 से+ अन्य शुल्क व खर्चें ((-)) मांग सूचना के बाद जमा राशि।	30,000.00 3000.00

नीलामी का स्थान - बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय
बलदेव निवास परिसर, रीडगंज, फैजाबाद/अयोध्या, निविदा दिनांक 30.11.2021 को दोपहर 1.00 बजे

नीलामी की शर्त:- (1) यह नीलामी "जैसी है जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की अधिकतम जानकारी व विश्वास तक नीलामी की जा रही है चल-संपत्तियां भार मुक्त है। फिर भी इच्छुक आवेदनकर्ता को चाहिए की नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार टाइल क्लेम आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी संपत्तियों सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेचीं जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारों के प्रति उत्तरदाई नहीं होगा। (3) बोली जमा करने से पहले वाहन / वाहन और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी, वे नीलामी की तारीख से पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। (4) बोलीदाताओं को "अधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यूपी बैंक" के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा राशि बोली के साथ अग्रिम रूप से फैजाबाद में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। उच्चतम बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोलीदाता माना जाएगा, असफल बोलीदाता की शेष ईएमडी एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज के वापस भेज दी जाएगी। ऑफर शाम 4 बजे तक 29.11.2021 तक स्वीकार किए जाएंगे और बोली नीलामी की तिथि अर्थात् 30.11.2021 को दोपहर 1 बजे खोली जाएगी। (5) सफल बोलीदाताओं की बकाया राशि आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर किसी भी स्थिति में कोई ब्याज नहीं लगेगा। (6) सफल बोलीदाता को आने वाले दिन डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में बोली राशि का 15% (ईएमडी को छोड़कर) जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से करना होगा, यदि वह विफल रहता है ऐसा करने पर उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (8) सफल बोलीदाता वाहन के लिए देय शुल्क / शुल्क जैसे स्टॉप शुल्क पंजीकरण शुल्क आदि कानून के अनुसार लागू होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी सरकार को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, वाहन कर और / या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। या नीलामी के तहत वाहन के संबंध में कोई भी क्रेता ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (10) किसी भी समय बोली रद्द करने और बिक्री से प्राप्त राशि की वापसी के मामले में बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। (11) यदि कोई ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुकाते हैं तो नीलामी अलग होगी। इस प्रकार उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) के पास नीलामी से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को जारी करने का मौका है बशर्त कि वह बैंक को देय पूरी राशि और शुल्क का भुगतान कर दें। (12) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, अर्थात् <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> लिंक को देखें।

बिक्री के लिए 30 दिन का नोटिस

एतद्वारा ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी से पहले बैंक को उपरोक्त सभी देय राशियों को चुकाने के लिए नोटिस दिया जाता है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो गिरवी रखी गई संपत्ति को उल्लिखित तिथि को बेच दिया जाएगा और यदि कोई बकाया राशि बची है तो उसे देय ब्याज, शुल्क और व्यय के साथ वसूल किया जाएगा।